दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 08.11.2023
निर्णय की तिथि: 09.01.2024

सि.वि.(मु.) 457/2023 और सि.वि.आ. 13615/2023

नमिता गुप्ता ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री भुवन गुगनानी, श्री रुपेंदेर शर्मा, अधिवक्तागण, अधिवक्तागण

बनाम

सूरज होल्डिंग्स लिमिटेड ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री आशीष मोहन, श्री हेमंत मंजानी, सुश्री सागरिका तंवर, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला

निर्णय

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जो ***मेसर्स सूरज होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम नमिता गुप्ता*** (इसके बाद इसे 'वाद' के रूप में संदर्भित किया गया है) नामक सि.वा. जि.न्या संख्या 708/2019 के वाद में प्रतिवादी है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-06, दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली (इसके बाद 'अतिरिक्त जिला न्यायाधीश' के रूप

में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 06.03.2023 के आदेश (इसके बाद इसे 'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित किया गया है) और विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली (इसके बाद 'प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 14.03.2023 के आदेश (इसके बाद 'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित) को चुनौती दी गई है।

2. दिनांक 06.03.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यह देखते हुए कि पक्षकारगण के बीच विवाद वाणिज्यिक प्रकृति का है, उचित आदेश पारित करने के लिए वाद की फाइल को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

3. दिनांक 14.03.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि वाद को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय से वापस ले लिया जाए, और विधि अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए इसे विद्वान जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय-06, दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली के न्यायालय में अंतरित कर दिया जाए।

<u>तथ्यात्मक मैट्रिक्स</u>

4. संक्षेप में, वर्तमान याचिका को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी, जो वाद में वादी है, ने 19.08.2019 को उक्त वाद दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता से ब्याज सहित 1,07,37,545.07 रुपये की वसूली की मांग की गई। उक्त वाद प्रत्यर्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सि.प्र.सं.') की धारा 151 के सहपठित आदेश XXXVII के तहत दायर किया गया था।

5. दिनांक 13.12.2019 के आदेश द्वारा, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वाद को एक साधारण सिविल वाद के रूप में माना, और याचिकाकर्ता को समन जारी किए।

6. याचिकाकर्ता ने ब्याज सहित 40,62,882/- रुपये की राशि की वसूली की मांग के लिए एक प्रति-दावे के साथ वाद में अपना लिखित बयान दायर किया।

7. याचिकाकर्ता ने 10.02.2022 को सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि यह वाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 2(1)(ग)(झ) के तहत परिभाषित विनिर्दिष्ट मूल्य के एक वाणिज्यिक विवाद को उठा रहा है, और चूंकि इसे अधिनियम की धारा 12-क के तहत अनिवार्य वाद दायर करने से पूर्व की मध्यस्थता का सहारा लिए बिना दायर किया गया है, इसलिए वादपत्र को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

8. उक्त आवेदन की सुनवाई के दौरान, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यह देखते हुए कि वाद में उठाया गया विवाद व्यावसायिक प्रकृति का है, दिनांक 06.03.2023 को आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें उचित आदेश के लिए वाद की फाइल को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

9. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिनांक 14.03.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस वाद को विद्वान जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय-06, दक्षिण पूर्व जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली को अंतरित करने की कृपा की है।

10. याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की है।

<u>याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ:</u>

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और यहां तक कि विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी उस वाद को, जो एक साधारण वाद के रूप में दायर किया गया है, वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के पास उपलब्ध एकमात्र शक्ति वादपत्र को वापस लौटाना

है, ताकि वादी उसे, यदि ऐसी सलाह दी जाए, उचित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष दायर कर सके।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम के तहत, वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने की विशेष आवश्यकताएं हैं, जो सत्य के निर्धारित बयान और शपथपत्र के रूप में दायर की जानी हैं, साथ ही अधिनियम की धारा 12-क के तहत वाद दायर करने से पूर्व की मध्यस्थता शुरू की जानी है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि चूंकि वर्तमान मामले में, वादपत्र उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को वादपत्र को खारिज/लौटा देना चाहिए था।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि साधारण वाद के रूप में दायर किए गए वाद को वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित करने का एकमात्र प्रावधान अधिनियम की धारा 15(2) में निहित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त प्रावधान केवल एक विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सिविल वादों पर लागू होता है जो किसी भी जिले या क्षेत्र में सिविल न्यायालयों के समक्ष लंबित थे, जिसके संबंध में ऐसे गठन की तारीख को एक वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है। यह उन वादों पर लागू नहीं होता है जो किसी विशेष जिले में वाणिज्यिक न्यायालयों के गठन के बाद दायर किए जाते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहां कोई वाद, हालांकि किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित है, वाणिज्यिक न्यायालयों के

गठन के बाद एक साधारण सिविल वाद के रूप में दायर किया जाता है, न्यायालय के पास उपलब्ध एकमात्र शक्ति सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वादपत्र को वाणिज्यिक न्यायालयों, अर्थात् उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस करना है। इसके समर्थन में, उन्होंने ***अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम के.एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और अन्य*** (2020) 15 एससीसी 585 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय; ***सत्यनारायण खंडेलवाल बनाम प्रेम अरोड़ा,*** 2022 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 2142 में इस न्यायालय के निर्णय; ***नरेंद्र कुमार बनाम ओम डेली नीड्स रिटेलिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य***, तटस्थ उद्धरण संख्या 2023:डीएचसी:6474-डीबी; ***मेसर्स एवी इंडस्ट्रीज बनाम मेसर्स नियो नियोन इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड,*** तटस्थ उद्धरण संख्या 2023:डीएचसी:6230-डीबी; और; ***वीरेंद्र कुमार बनाम रेखा भयाना,*** 2022 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 2678; और ***लक्ष्मी प्लाईफैब प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम ईडन रियल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य,*** 2021 एससीसी ऑनलाइन कैल 1457, ***महर्षि कॉमर्स लिमिटेड बनाम राजीव आर. बालानी और अन्य*** (सि.वाद./3/2019 ओडी-13 में आदेश दिनांक 10.11.2022), और ***एएनई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम जे.के. इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड***, 2023 एससीसी ऑनलाइन कैल 3331 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय; और ***आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) बनाम मेघावरम पावर प्राइवेट लिमिटेड,*** 2023 एससीसी ऑनलाइन आंध्र 794 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का

निर्णय; और ***लाइफ शाइन मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डॉ. एलेटी जीवन रेड्डी एवं अन्य*** (सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 689/2023 में दिनांक 13.04.2023 का आदेश) में तेलंगाना उच्च न्यायालय का निर्णय; और ***गौरांग मंगुएश सुक्तांकर बनाम सोनिया गौरांग सुक्तांकर*** (एलडी-वीसी-सीडब्ल्यू-88/2020 में 20.07.2020 को निर्णय लिया गया) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।

14. उन्होंने प्रस्तुत किया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 एक विशेष और अनुवर्ती कानून होने के कारण, सि.प्र.सं. के सामान्य प्रावधानों और विशेषकर सि.प्र.सं. की धारा 24 को अध्यारोही कर देगा। उक्त प्रस्तुति के समर्थन में, वह ***जेसी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम निबंधक (महा), उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक और अन्य***, (2023) 1 एससीसी 549 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और ***शंकर लाल जैसवाल बनाम आशा देवी और अन्य***, तटस्थ उद्धरण संख्या 2018:एएचसी:177160 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह मानते हुए भी कि सि.प्र.सं. की धारा 24 लागू होगी, अधिनियम के तहत गठित वाणिज्यिक न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, इसलिए किसी भी मामले में विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र

न्यायाधीश के पास वाद को वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित करने की शक्ति नहीं थी।

<u>प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ:</u>

16. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान जिला न्यायाधीश, साथ ही इस न्यायालय को, अधिनियम के प्रावधानों द्वारा सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत शक्तियों से वंचित नहीं किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 15 में उन मामलों को अंतरित करने का प्रावधान है, जो उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग या जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों के गठन की तिथि तक न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं। हालाँकि, उक्त प्रावधान उस सामान्य शक्ति के अतिरिक्त है जो सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय में निहित है, जो किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी भी कार्यवाही को किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय में अंतरित कर सकती है।

17. उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि यह वाद विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष लंबित था, जो पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 के प्रावधानों के अनुसार विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय है, इसलिए विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास वाद को वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित करने की शक्ति थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वाणिज्यिक न्यायालय, यद्यपि अधिनियम के

तहत गठित किया गया है, लेकिन इसका संचालन जिला न्यायपालिका के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जैसा कि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमों से स्पष्ट है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि विद्वान जिला न्यायाधीश वाणिज्यिक वादों को जिले के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित करने के लिए प्रशासनिक आदेश पारित करते रहे हैं। इसके समर्थन में उन्होंने कार्यालय आदेश संख्या 2719/87297-332 दिनांक 08.12.2019, तथा कार्यालय आदेश संख्या 576/14058-104 दिनांक 18.02.2020 पर भरोसा किया है।

18. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक बार यह स्वीकार कर लिया गया कि साधारण सिविल न्यायालय में दायर वादपत्र को वाणिज्यिक न्यायालय में दायर करने के लिए वापस किया जा सकता है, तो सि.प्र.सं. की धारा 24 के प्रावधान समान रूप से लागू होंगे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सि.प्र.सं. की धारा 24(5) के अनुसार, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय को किसी वाद या कार्यवाही को उस न्यायालय से अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके पास उस पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और यहां तक कि यह न्यायालय भी, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद उत्पन्न करने वाले साधारण वादों के रूप में दायर किए गए वादों को वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित कर सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसे अंतरण पर, वाद के वादी को वाद में आवश्यक संशोधन करने होंगे ताकि

अधिनियम के तहत निर्धारित वाणिज्यिक वाद की अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा सके। हालाँकि, यह वाद के अंतरण से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता। इसके समर्थन में, वह ***सूरज प्रकाश बनाम नीरज कुमार एवं अन्य,*** 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 4563 और ***महेश गुप्ता बनाम रंजीत सिंह एवं अन्य***, 2009 एससीसी ऑनलाइन डेल 1418 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखते हैं।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष:</u>

19. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

20. वर्तमान याचिका में दो मुद्दे उठाए गए हैं जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है:-

(i) क्या अधिनियम एक विनिर्दिष्ट मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों पर सि.प्र.सं. की धारा 24 के अनुप्रयोग को निष्कासित करता है?

(ii) यदि उपरोक्त मुद्दे का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत वाद अंतरित करने की शक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी प्राप्त है?

<u>मुद्दा (i)</u>

21. पहले मुद्दे का उत्तर देने के लिए, मैं सबसे पहले अधिनियम की योजना की जांच करूंगा।

22. अधिनियम में विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए जिला न्यायालयों में वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक अपील न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग के गठन का प्रावधान है।

23. अधिनियम की धारा 3 और धारा 3क में जिला स्तर पर क्रमशः वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक अपील न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। वे इस प्रकार हैं:

> ***"3. वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन-*** *(1) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन वाणिज्यिक न्यायालयों पर प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर उतने ऐसे न्यायालयों का गठन कर सकेगी जितने वह आवश्यक समझेः*
>
> *परन्तु मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् जिला*

न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी:

परंतु यह और कि किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिस पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सेकगी, जो तीन लाख से रुपए से कम नहीं और जिला न्यायालयों द्वारा प्रयोज्य धनीय अधिकारिता से अधिक नहीं होगा, जैसा वह उचित समझे ।]

(1क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या राज्य के भाग के लिए ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो तीन लाख रुपए या ऐसे उच्चतर मूल्य से कम नहीं होगा, जैसा वह उचित समझे ।]

(2) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट करेगी जिस पर किसी वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया जाएगा और समय-समय पर ऐसी सीमाओं को बढ़ा सकेगी, कम कर सकेगी या उनमें परिवर्तन कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से या तो जिला न्यायाधीश के स्तर पर

या किसी जिला न्यायाधीश के स्तर से निम्न किसी न्यायालय से ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जिनके पास वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो, वाणिज्यिक न्यायालय का या के न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी।"

3क. वाणिज्यिक अपील न्यायालयों का अभिहित किया जाना *- ऐसे राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जिन पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा जिला न्यायाधीश के स्तर पर इतनी संख्या में वाणिज्यिक अपील न्यायालय अभिहित कर सकेगी, जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग और उन न्यायालयों को शक्ति प्रदत्त करने के प्रयोजनों के लिए आवशक समझे।*

24. अधिनियम की धारा 4 में उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग के गठन का प्रावधान है और यह इस प्रकार है:

"4. उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का गठन *– (1) ऐसे सभी उच्च न्यायालयों में, जिन्हें मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता प्राप्त है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, आदेश द्वारा, ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का, जिसमें एकल न्यायाधीश वाली एक या अधिक न्यायपीठें हों, इस अधिनियम के अधीन उसे*

प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए गठन कर सकेगा।

(2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक प्रभाग के न्यायाधीशों के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो।"

25. अधिनियम की धारा 5 संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अधिनियम द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक खंडपीठों वाले वाणिज्यिक अपील प्रभाग का गठन करने का अधिकार देती है।

26. अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि वाणिज्यिक न्यायालयों को उस राज्य, जिस पर उसे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार दिया गया है, के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार से उत्पन्न किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वादों और आवेदनों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार होगा।

27. इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि साधारण मूल सिविल क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में दायर किए गए विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी वादों और आवेदनों की सुनवाई और निपटान उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा।

28. धारा 11 में कहा गया है कि वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित किसी वाद, आवेदन या कार्यवाही पर विचार या निर्णय नहीं करेगा, जिसके संबंध में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी अन्य विधि के तहत स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।

29. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालयों का एक अलग और विशिष्ट पदानुक्रम निर्धारित किया गया है। ये न्यायालय साधारण सिविल न्यायालयों से अलग हैं।

30. अधिनियम की धारा 15, किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के गठन की तिथि तक लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित वादों और आवेदनों के अंतरण से संबंधित है। इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> ***15. लंबित मामलों का अन्तरण -*** *(1) किसी उच्च न्यायालय, में जहां किसी वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है, लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जिनके अन्तर्गत माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अधीन आवेदन भी है, वाणिज्यिक प्रभाग को अन्तरित कर दिए जाएंगे।*

(2) किसी जिले या क्षेत्र के, जिसके संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है, किसी सिविल न्यायालय में लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जिनके अन्तर्गत माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अधीन आवेदन भी है, उस वाणिज्यिक न्यायालय को अन्तरित कर दिए जाएंगे:

परन्तु ऐसा कोई वाद या आवेदन, जिसमें वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किए जाने के पूर्व, न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आरक्षित रख दिया गया है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अन्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) जहां विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित कोई वाद या आवेदन, जिसके अन्तर्गत माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अधीन कोई आवेदन भी है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को अन्तरित हो जाता है, वहां इस अधिनियम के उपबंध उन प्रक्रियाओं के प्रति लागू होंगे जो उसके अन्तरण के समय पूरी नहीं हुई थीं।

(4) यथास्थिति, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय नई समय-सीमाएं विहित करने के लिए या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 15क] के अनुसार ऐसे वाद या आवेदन के शीघ्र और

प्रभावकारी निपटारे के लिए ऐसे और निदेश, जो आवश्यक हों, जारी करने के लिए ऐसे अन्तरित वाद या आवेदन के संबंध में मामला प्रबंधन सुनवाइयां कर सकेगाः

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 5 के नियम 1 के उपनियम (1) का परन्तुक ऐसे अन्तरित वाद या आवेदन को लागू नहीं होगा और न्यायालय, अपने विवेकानुसार, ऐसी नई समयावधि विहित कर सकेगा जिसके भीतर लिखित कथन फाइल किया जाएगा।

(5) यदि ऐसा वाद या आवेदन उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से अन्तरित नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग, वाद के पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर, उस न्यायालय से जिसके समक्ष वह लंबित है, ऐसा वाद या आवेदन प्रत्याहृत कर सकेगा और उसे विचारण के लिए या उसका निपटारा करने के लिए, यथास्थिति, ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा जिसे ऐसे वाद पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त है और ऐसा अन्तरण आदेश अन्तिम और आबद्धकर होगा।

31. अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जिनमें माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, 'माध्यस्थम् अधिनियम') के तहत आवेदन शामिल हैं, जो किसी उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जहां वाणिज्यिक प्रभाग गठित किया गया है, वाणिज्यिक प्रभाग को अंतरित कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में कहा गया है कि किसी भी जिले या क्षेत्र के किसी भी सिविल न्यायालय में लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जिसमें माध्यस्थम् अधिनियम के तहत आवेदन भी शामिल हैं, जिसके संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है, ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय को अंतरित कर दिए जाएंगे। हालाँकि, ऐसा अंतरण वहां नहीं होगा जहां वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के गठन से पूर्व न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा गया हो।

32. अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) में कहा गया है कि यदि किसी वाद या आवेदन को अधिनियम की उपधारा (1) या उपधारा (2) के आधार पर अंतरित करने का आदेश दिया गया है, और उसे उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट तरीके से अंतरित नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग, वाद के किसी भी पक्षकारगण के आवेदन पर, ऐसे वाद या आवेदन को उस न्यायालय से वापस ले सकता है,

जिसके समक्ष वह लंबित है, और उसे ऐसे वाद पर क्षेत्रीय अधिकारिता वाले वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को, जैसा भी मामला हो, विचारण या निपटान के लिए अंतरित कर सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) उन मामलों पर लागू होती है और कार्यान्वित होती है, जिन्हें वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय में ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के गठन की तिथि को अंतरित किया जाना चाहिए था, तथापि, अंतरित नहीं किया गया।

33. अधिनियम की धारा 16 में वाणिज्यिक विवादों पर लागू होने वाले सि.प्र.सं. के प्रावधानों में संशोधन का प्रावधान है, तथा कहा गया है कि सि.प्र.सं. को अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा। उक्त अनुसूची में विशेष प्रावधान किए गए हैं/संशोधित किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक अभिवचन को शपथपत्र द्वारा सत्यापित करने, सत्य बयान, लिखित बयान दाखिल करने की सख्त समयसीमा, मामला प्रबंधन सुनवाई आदि का प्रावधान किया गया है। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सि.प्र.सं. के केवल कुछ प्रावधान ही अधिनियम से संलग्न अनुसूची द्वारा संशोधित किए गए हैं, तथा सि.प्र.सं. की धारा 24 ऐसे प्रावधानों में से एक नहीं है।

34. अधिनियम की धारा 16 निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत है:

> ***"16. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को वाणिज्यिक विवादों को लागू किए जाने के लिए संशोधन***–*(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी वाद को लागू किए जाने के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन हो गए समझे जाएंगे।*
>
> *(2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी वाद के विचारण में, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों का पालन करेगा।*
>
> *(3) जहां उच्च न्यायालय की अधिकारिता के किसी नियम का या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) का राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी संशोधन का कोई उपबंध, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के प्रतिकूल है, वहां इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के उपबंध अभिभावी होंगे।"*

35. अधिनियम की धारा 18 उच्च न्यायालयों को एक विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की सुनवाई के संबंध में अधिनियम के अध्याय II और सि.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुपूरक के लिए अधिसूचना और व्यवहार निर्देशों के रूप में निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।

36. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि अधिनियम में विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों पर न्यायनिर्णयन करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों के गठन का प्रावधान है। तथापि, उक्त प्रावधानों का कार्यान्वयन तथा इन न्यायालयों पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालयों के पास ही रहेगा, इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय होंगे। सि.प्र.सं. की धारा 24 को अधिनियम या इसके साथ संलग्न अनुसूची द्वारा संशोधित नहीं किया गया है, इसलिए, इसे विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित वाद पर लागू न करने का कोई कारण नहीं है।

37. ***अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में उच्चतम न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें वाद एक वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था और प्रतिवादी ने सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि यह वाद किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित नहीं था। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वाद का वादपत्र वादी को वापस करने का निर्देश दिया, ताकि उसे समुचित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने इस कार्रवाई की पुष्टि की और इसे मंजूरी दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सि.प्र.सं.

के आदेश VII नियम 10 का अवलंब लिया गया और उसे उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा।

38. ***वीरेंद्र कुमार*** (पूर्वोक्त) मामले में, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश, विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें एक वाद, जो कि हालांकि एक वाणिज्यिक वाद था, लेकिन एक गैर-वाणिज्यिक वाद के रूप में दायर किया गया, को वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित किया गया था। इस न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान केवल उन वादों पर लागू होते हैं जो वाणिज्यिक न्यायालयों के गठन की तिथि तक लंबित थे। इसने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *"**9.** इस धारा में प्रयुक्त शब्द "लंबित" का निहितार्थ न केवल धारा 15 की उपधारा (2) बल्कि उक्त धारा की अन्य उपधाराओं के संदर्भ में भी आसानी से समझा जा सकता है। धारा 15(2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "गठित किया गया है" के साथ संयोजन में देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान को अधिनियमित करने में विधानमंडल का उद्देश्य किसी भी जिले या क्षेत्र में सिविल न्यायालय के समक्ष गैर-वाणिज्यिक वादों के रूप में दायर सभी वाणिज्यिक वादों को अंतर्निहित करना है, जिसके संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के लागू होने की तारीख को वाणिज्यिक*

न्यायालय "गठित किया गया है" और इसलिए उक्त तारीख को "लंबित" था।

***10.** इसे ऐसा प्रावधान नहीं माना जा सकता है जो भविष्य में सभी समय के लिए लागू हो सके, जिससे मुवक्किल को सिविल न्यायालय के समक्ष वाणिज्यिक वाद दायर करने और वाद को वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित करने की अनुमति मिल सके।"*

39. यद्यपि न्यायालय ने सामान्य सिविल वादों की तुलना में वाणिज्यिक वादों पर लागू अधिक कठोर प्रोटोकॉल पर प्रकाश डाला, लेकिन वादपत्र को खारिज करने के बजाय, यह माना कि उसे सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वादी को वापस कर दिया जाना चाहिए, ताकि इसे समुचित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

*"**11.** वाणिज्यिक वादों और गैर-वाणिज्यिक वादों के बीच प्रोटोकॉल में स्पष्ट अंतर है। वाणिज्यिक वाद अपनी अलग प्रक्रिया का पालन करते हैं, और गैर-वाणिज्यिक वादों की तुलना में बहुत अधिक कठोरता के अधीन होते हैं। वाणिज्यिक वाद का अपना विशिष्ट प्रारूप होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वादपत्र के साथ-साथ लिखित बयान के साथ सत्य बयान दाखिल करने की आवश्यकता शामिल होती है।*

__12.__ वाणिज्यिक वादों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा धारा 26, धारा 35, धारा 35-क सहित सि.प्र.सं. के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसलिए, ऐसे वाणिज्यिक वादों को, जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए या निर्धारित प्रारूप में दायर नहीं किए गए हैं, उन्हें वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित करने की अनुमति देना प्रतिकूल होगा।

XXXX

__14.__ वाणिज्यिक न्यायालय गैर-वाणिज्यिक न्यायालयों से भिन्न होते हैं। यदि कोई वाणिज्यिक वाद सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से उस न्यायालय, जिसके समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में आदेश VII नियम 10 (1) सीधे तौर पर लागू होता है और वाद को वादी को वापस करने की आवश्यकता होती है ताकि उसे समुचित न्यायालय, यानी वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

40. न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित और स्पष्ट किया कि जब वादपत्र वादी को वापस कर दिया जाता है, तो वादी अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रारूप

में तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उसी वादपत्र को प्रस्तुत करने का हकदार होगा। मैं न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ:

> *"**24.** किसी भी भ्रम से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जब वादपत्र प्रत्यर्थी को वापस कर दिया जाता है, तो वह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वही वादपत्र प्रस्तुत करने का हकदार होगा।"*

41. ***सत्यनारायण खंडेलवाल*** (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रत्यर्थी के खिलाफ दायर अंतरण याचिकाओं के एक समूह पर न्यायनिर्णयन करते हुए माना कि वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 19 उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तिथि तक दायर और लंबित वाणिज्यिक विवाद से संबंधित मामलों पर भूतलक्षी रूप से लागू नहीं होगी। खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया कि क्या सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ऐसे वादों को अंतरित करने के लिए किया जा सकता है या नहीं।

42. ***नरेंद्र कुमार*** (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) द्वारा पारित आदेश को दी गई

चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें एक वाद का वादपत्र वापस कर दिया गया था, जो मूल रूप से एक साधारण सिविल न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जिसे विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा एक वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित कर दिया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) ने माना था कि चूंकि विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास वाद को वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित करने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए वादपत्र को सक्षम वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उचित प्रारूप में दायर करने के लिए वापस कर दिया गया। खंडपीठ ने माना कि अधिनियम की धारा 15 अधिनियम के लागू होने के बाद दायर वादों पर लागू नहीं होगी। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए वादपत्र वापस करने के आदेश को बरकरार रखा:-

> *"11. इसका तात्पर्य यह है कि वा.न्या.अधि., 2015 की धारा 15(2) भविष्य में प्रभावी नहीं थी, बल्कि यह वाणिज्यिक प्रकृति के सभी लंबित वादों को नियमित सिविल न्यायालयों से वाणिज्यिक न्यायालयों में अंतरित करने के लिए एक सक्षम प्रावधान था। वर्तमान वाद 16.03.2019 को अर्थात् 2015 के बाद शुरू किया गया है और इस प्रकार, 03.05.2018 को संशोधित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रावधान लागू हो जाएंगे।*
>
> *XXXX*

16. आदेश VII नियम 10 सि.प्र.सं. 1908 में उस न्यायालय, जिसके समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र की वापसी की परिकल्पना की गई है। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज (पूर्वोक्त) मामले में यह माना गया था कि जहां कोई वाद किसी ऐसे न्यायालय में दायर किया जाता है जो समुचित न्यायालय नहीं है, तो उस वाद को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जा सकता है।

17. इसी प्रकार के तथ्य वीरेंद्र कुमार बनाम रेखा भयाना 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 2678 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष विचार के लिए आए, जिसमें यह भी देखा गया कि विद्वान अति.जि.न्या. के न्यायालय के समक्ष दायर एक वाणिज्यिक वाद को वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुति के लिए आदेश VII नियम 10 सि.प्र.सं. के तहत वापस किया जाना है।

18. वर्तमान मामले में, यद्यपि मामला विद्वान अति.जि.न्या. के न्यायालय से वाणिज्यिक न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित कर दिया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया गलत थी क्योंकि वाद वाणिज्यिक वाद की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने सक्षम वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उपयुक्त प्रारूप में

दायर किए जाने वाले वाद को न्यायानुसार लौटा दिया है।

19. तदनुसार, हमें दिनांक 20.03.2023 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं मिला और इसे खारिज कर दिया गया।"

43. इसलिए, माननीय खंडपीठ ने कहा कि सि.प्र.सं. का आदेश VII नियम 10 विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) को वाद अंतरित करने के बजाय विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली उचित शक्ति होती।

44. ***महर्षि कॉमर्स लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि उसमें वाद ने एक विनिर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद उठाया और इसलिए, साधारण सिविल वाद धारणीय नहीं था। चूंकि न्यायालय के पास इस पर आगे बढ़ने का क्षेत्राधिकार नहीं था, इसलिए उसने सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वादपत्र को वादी को वापस कर दिया ताकि वह इसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

45. ***एएनई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) *में,* कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ***लक्ष्मी पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में अपने पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, और यह माना कि अधिनियम की धारा 15 उक्त उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग की स्थापना के बाद दायर किए गए वादों पर

लागू नहीं होगी, निर्देश दिया कि वादपत्र को वादी को वापस कर दिया जाए ताकि उसे विधि के अनुसार समुचित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

46. ***आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी)*** (पूर्वोक्त) मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी यही दृष्टिकोण दोहराया। न्यायालय ने माना कि सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत एक याचिका, जिसमें इस आधार पर एक वाणिज्यिक न्यायालय से दूसरे वाणिज्यिक न्यायालय में वाद को अंतरित करने की मांग की गई है कि जिस न्यायालय में उक्त वाद शुरू किया गया है, उसके पास क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है, गलत धारणा है तथा वह असंधार्य है, तथा इसे केवल सि.प्र.सं. के आदेश VII, नियम 10 के तहत ही निपटाया जाना चाहिए। हालांकि, मैं यहां यह अवश्य कहना चाहूंगा कि उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय का मुख्य ध्यान केवल अधिनियम की धारा 15 पर था, क्योंकि इसमें दायर याचिका, हालांकि सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत दायर की गई थी, लेकिन उसमें अधिनियम की धारा 15 पर ही भरोसा किया गया था और उसका आह्वान किया गया था। इस संबंध में, न्यायालय ने किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित वाद पर सि.प्र.सं. की धारा 24 की प्रयोज्यता को हटाने के लिए कोई कारण नहीं दिया।

47. ***लाइफ शाइन मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) *में*, तेलंगाना उच्च न्यायालय उस आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहा था जिसके तहत

विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र को एक उचित फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ वापस कर दिया था, क्योंकि वाद एक वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित था, और उसने माना कि वाद वास्तव में एक ऐसे लेनदेन से संबंधित था जो वाणिज्यिक प्रकृति का था, और उसने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित वादपत्र को वापस करने के आदेश को बरकरार रखा।

48. ***गौरांग मंगूश सुक्तानकर*** (पूर्वोक्त) में बॉम्बे उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या गोवा सिविल न्यायालय अधिनियम, 1965 की धारा 5 के सहपठित माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 2(1)(ई) के तहत परिभाषित न्यायालय, या संशोधित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3(1) के तहत वाणिज्यिक न्यायालय को माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन पर न्यायनिर्णयन करने का क्षेत्राधिकार होगा। उच्च न्यायालय ने माना कि पणजी के विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जिन्हें वाणिज्यिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, को माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर आवेदन पर न्यायनिर्णयन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए, यह निर्णय वर्तमान याचिका में विचाराधीन मुद्दों पर लागू नहीं होगा।

49. ***मेसर्स ए.वी. इंडस्ट्रीज*** (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय की खंडपीठ एक वाणिज्यिक वाद में विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती देने वाली एक नियमित प्रथम अपील

(वाणिज्यिक) पर विचार कर रही थी। न्यायालय ने दोहराया कि अधिनियम के तहत वाणिज्यिक वादों पर लागू सत्य बयान के संबंध में विशेष प्रावधान अनिवार्य हैं और उनका पालन किया जाना आवश्यक है, तथा इसके अभाव में, वादपत्र स्वयं अशक्त है और उसे साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। न्यायालय ने आगे माना कि भले ही मूल रूप से वाद पर साधारण वाद पर विचार करने वाले विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था, लेकिन बाद में इसे अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया और वाणिज्यिक वाद के रूप में क्रमांकित किया गया, इसलिए, वादी सि.प्र.सं. के आदेश VI के नियम 15-क के उप-नियम (4) और (5) के अनुसार सत्य बयान दाखिल करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन था, जैसा कि उसमें निहित अनिवार्य प्रक्रियात्मक औपचारिकता की पुष्टि करते हुए अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। न्यायालय ने माना कि वादी को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वाद को साधारण न्यायालय से विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित करने के बाद सत्य बयान दाखिल करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे। इसलिए, उक्त निर्णय में न्यायालय केवल उस वाद के निष्कर्ष पर विचार कर रहा था, जो एक वाणिज्यिक विवाद से संबंधित था और जिसका न्यायनिर्णयन एक वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा किया गया था, तथापि, उसका वादपत्र अधिनियम की धारा 16 के सहपठित अनुसूची में निर्धारित आवश्यक और अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करता है।

न्यायालय के पास इस तरह के वाद में सि.प्र.सं. की धारा 24 के अनुप्रयोग पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था।

50. उपरोक्त निर्णयों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होगा कि: -

(क) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम सत्य बयान, सत्यापन आदि के रूप में अभिवचनों और शपथपत्रों के संबंध में एक विशेष प्रारूप और विशिष्ट आवश्यकताओं का प्रावधान करता है। इसमें वाद दायर करने से पूर्व की मध्यस्थता के रूप में अधिनियम की धारा 12-क के तहत प्रावधानों का अनिवार्य अनुपालन आवश्यक है;

(ख) यदि कोई वाद किसी विनिर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद उठाता है, तो साधारण सिविल न्यायालय के पास उस पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा, और इसलिए उसे सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वादपत्र को वापस करना होगा;

(ग) वादपत्र की वापसी पर, वादी अभिवचनो में आवश्यक सुधार करने के बाद, वादपत्र को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

51. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता भी वर्तमान मामले के तथ्यों पर सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 की प्रयोज्यता पर विवाद नहीं करते हैं।

वास्तव में, यह उनका अपना मामला है कि विद्वान विचारण न्यायालय को वादपत्र वादी, अर्थात् प्रत्यर्थी को वापस कर देना चाहिए था, ताकि उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

52. अब मैं इस प्रश्न पर आता हूं कि यदि न्यायालय के पास सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वादपत्र वापस करने की शक्ति और कर्तव्य है, तो क्या सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत इस न्यायालय की शक्ति इससे समाप्त हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, क्या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम सि.प्र.सं. की धारा 24 की प्रयोज्यता को निष्कासित करता है।

53. सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 और आदेश VII नियम 10क नीचे पुन: प्रस्तुत हैं:-

> *"* *आदेश VII*
>
> *XXX*
>
> ***10. वादपत्र का लौटाया जाना––(1)*** *[नियम 10क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वादपत्र] वाद के किसी भी प्रक्रम में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था।*
>
> *स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के*

पश्चात्, इस उपनियम के अधीन वादपत्र के लौटाए जाने का निदेश दे सकेगा।

(2) वादपत्र के लौटाए जाने पर प्रक्रिया– न्यायाधीश वादपत्र के लौटाए जाने पर, उस पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा।

10क. जहां वादपत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात् फाइल किया जाना है वहां न्यायालय में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति– *(1) जहां किसी वाद में प्रतिवादी के उपसंजात होने के पश्चात् न्यायालय की यह राय है कि वादपत्र लौटाया जाना चाहिए वहां वह ऐसा करने के पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा।*

(2) जहां वादी को उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गई हो वहां वादी न्यायालय से-

(क) उस न्यायालय को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें वह वादपत्र के लौटाए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करता है,

(ख) यह प्रार्थना करते हुए कि न्यायालय उक्त न्यायालय में पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करे, और

(ग) यह अनुरोध करते हुए कि इस प्रकार नियत तारीख की सूचना उसे और प्रतिवादी को दी जाए, आवेदन कर सकेगा।

(3) जहां वादी द्वारा उपनियम (2) के अधीन आवेदन किया जाता है वहां न्यायालय वादपत्र लौटाए जाने के पूर्व और इस बात के होते हुए भी कि उसके द्वारा वादपत्र के लौटाए जाने का आदेश इस आधार पर किया गया था कि उसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं थी,-

(क) उस न्यायालय में जिसमें वादपत्र के उपस्थित किए जाने की प्रस्थापना है, पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करेगा, और

(ख) उपसंजाति की ऐसी तारीख की सूचना वादी और प्रतिवादी को देगा।

(4) जहां उपनियम (3) के अधीन उपसंजाति की तारीख की सूचना दी जाती है वहां-

(क) उस न्यायालय के लिए जिसमें वादपत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात् उपस्थित किया जाता है, तब तक यह आवश्यक नहीं होगा कि वह बाद में उपसंजाति के लिए समन प्रतिवादी पर तामील करे, जब तक कि वह न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अन्यथा निदेश न दे, और

(ख) उक्त सूचना, उस न्यायालय में जिसमें वादपत्र को लौटाने वाले न्यायालय द्वारा इस प्रकार नियत तारीख को वादपत्र उपस्थित किया जाता है, प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए समन समझी जाएगी।

(5) जहां न्यायालय वादी द्वारा उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है वहां वादी वादपत्र लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।"

54. सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 में यह प्रावधान है कि वाद के किसी भी चरण पर वादपत्र को उस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस लौटाया जाना चाहिए जिसमें वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10क में यह अनिवार्य किया गया है कि जहां न्यायालय की यह राय हो कि वादपत्र वापस किया जाना चाहिए, तो ऐसा करने से पहले वह वादी को अपना निर्णय बताएगा और जहां वादी ऐसे निर्णय को स्वीकार करता है, वहां वादी न्यायालय में एक आवेदन कर सकता है जिसमें वह उस न्यायालय को विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें वह वादपत्र को वापस किए जाने के पश्चात् उसे प्रस्तुत करना चाहता है, तथा न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है कि वह उक्त न्यायालय में पक्षकारगण की उपस्थिति के लिए एक तारीख नियत करे तथा पक्षकारगण को उक्त तारीख की सूचना दे।

55. जहां वादपत्र सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वापस कर दिया जाता है, वहां क्षेत्राधिकार वाले समुचित न्यायालय के समक्ष इसकी प्रस्तुति पर, वाद को एक नए वाद के रूप में माना जाएगा, और उसे नए सिरे से शुरू करना होगा, और पूर्व न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही शून्य हो जाएगी। इस संबंध

में, ***ईएक्सएल करियर एवं अन्य बनाम फ्रैंकफिन एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड*** (2020) 12 एससीसी 667 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

56. पूर्ववर्ती न्यायालय में हुई सभी कार्यवाहियों के नुकसान के उपरोक्त परिणाम से बचने के लिए, दोनों में से कोई भी पक्षकारगण सि.प्र.सं. की धारा 24 का विकल्प ले सकता है, जो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय को स्वप्रेरणा से या अन्यथा, अपने समक्ष लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में विचारण या निपटान के लिए अंतरित करने या अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या कार्यवाही को वापस लेने और अन्य बातों के साथ-साथ उसे अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में विचारण या निपटान के लिए अंतरित करने तथा उसका निपटान करने में सक्षम होने का अधिकार देता है। धारा 24 की उपधारा (5) में कहा गया है कि अंतरण की ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे न्यायालय से वाद या कार्यवाही को अंतरित करने के लिए किया जा सकता है, जिसे उस पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

57. सि.प्र.सं. की धारा 24 को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> *"24. **अन्तरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति**–(1) किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के*

इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना स्वप्रेरणा से, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रक्रम में–

(क) ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को, जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लम्बित है, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को, अन्तरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है, अथवा

(ख) अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा, तथा–

(i) उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा; अथवा

(ii) अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अन्तरित कर सकेगा, जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है अथवा

(iii) विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्यन्तरण कर सकेगा, जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था।

(2) जहां किसी वाद या कार्यवाही का अन्तरण या प्रत्याहरण उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां वह न्यायालय, जिसे ऐसे वाद या कार्यवाही का

तत्पश्चात विचारण करना है या उसे निपटाना है। अन्तरण आदेश में दिए गए विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुनः विचारण कर सकेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जहां से उसका अन्तरण या प्रत्याहरण किया गया था।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) अपर और सहायक न्यायाधीशों के न्यायालय, जिला न्यायालय के अधीनस्थ समझे जाएंगे:

(ख) "कार्यवाही" के अन्तर्गत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही भी है।]

(4) किसी लघुवाद न्यायालय से इस धारा के अधीन अन्तरित या प्रत्याहृत किसी वाद का विचारण करने वाला न्यायालय ऐसे वाद के प्रयोजनों के लिए लघुवाद न्यायालय समझा जाएगा।

(5) कोई वाद या कार्यवाही उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अन्तरित की जा सकेगी जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता नहीं है।

58. धारा 24 और सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के बीच अंतर यह है कि धारा 24 की उपधारा (2) के अनुसार, जहां कोई वाद या कार्यवाही अंतरित की गई या वापस ले ली गई है, वह न्यायालय जिसे उसके बाद ऐसे वाद या कार्यवाही का विचारण या निपटान करना है, अंतरण के आदेश के मामले में किसी विशेष निर्देश के अधीन, या तो उस पर पुनः विचारण कर सकता है या

उस बिंदु से आगे बढ़ सकता है जहां से उसे अंतरित किया या वापस लिया गया था। इसलिए, उस न्यायालय, जहां पहले कोई वाद प्रस्तुत किया गया, के समक्ष की गई सभी कार्यवाहियों को बचाया जा सकता है, हालांकि उसके पास उस पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं था, तथा वाद को अंतरित किए जाने पर उस बिंदु से आगे बढ़ाया जा सकता है जहां से उसे अंतरित किया गया था।

59. ***महेश गुप्ता*** (पूर्वोक्त) मामले में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ धन-संबंधी क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर वादपत्र को वापस करने के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसे धन-संबंधी क्षेत्राधिकार रखने वाले समुचित न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना था। न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए निर्देश दिया कि वादपत्र को वापस करने के बजाय, वाद को सिविल क्षेत्राधिकार वाले सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जाए। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

> ***"11.*** *अपील की सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी/वादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि वादपत्र को वापस करने का आदेश संधार्य रखा जाता है तो अपीलार्थी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वाद में पहले से ही पर्याप्त साक्ष्य अभिलिखित किए जा चुके हैं और पक्षकारगण के अधिवक्ता की सहमति से प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के खिलाफ व्यादेश का आदेश भी दिया गया है। इस वाद में इस न्यायालय द्वारा लगाए गए काफी समय को ध्यान में रखते हुए, हमने*

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24(5) के सहपठित धारा 24(1) के तहत अपनी शक्तियों का स्वप्रेरित प्रयोग करने का निर्णय लिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार वादपत्र को वापस करने के बजाय, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को संशोधित करते हैं और निर्देश देते हैं कि मामले के तथ्यों को देखते हुए, वाद को ही सिविल क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय में अंतरित कर दिया जाए। सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत शक्तियों के प्रयोग के प्रभाव का अर्थ यह होगा कि वाद अंतरित न्यायालय द्वारा उस चरण से उठाया जाएगा जिस पर दिनांक 16.2.2009 के आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले यह मामला लंबित था। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि प्रत्यर्थीगण व्यादेश के अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मामले की सुनवाई न्यायालय के धन-संबंधी क्षेत्राधिकार के अभाव के पहलू पर की गई थी। इसलिए, वाद को अंतरित करने का निर्देश देते हुए, हम आगे आदेश देते हैं कि वाद में प्रत्यर्थी के खिलाफ लागू व्यादेश का अंतरिम आदेश केवल उस तारीख तक जारी रहेगा जब संबंधित सिविल न्यायाधीश द्वारा मामले को पहली तारीख पर लिया जाएगा। सिविल न्यायाधीश प्रथम तिथि को अंतरिम/एकपक्षीय व्यादेश प्रदान करने या अस्वीकार

करने के मुद्दे पर नए सिरे से निर्णय करेगा तथा वह वाद में वादी द्वारा दायर व्यादेश आवेदन पर भी शीघ्रता से, तथा अधिमानतः प्रथम सुनवाई से चार सप्ताह के भीतर निर्णय करेगा। विद्वान एकल न्यायाधीश को इस न्यायालय की किसी भी टिप्पणी या इस तथ्य कि, पहले व्यादेश का आदेश पक्षकारगण की सहमति से पारित किया गया था, से पूरी तरह अप्रभावित होकर व्यादेश (एकपक्षीय/अंतरिम और पेंडेंट लाइट) देने या अस्वीकार करने के मुद्दे पर विचार करना चाहिए।"

60. इसलिए, जब यह स्वीकार कर लिया गया कि एक वाद, जो कि एक विनिर्दिष्ट राशि के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित है, एक सिविल न्यायालय के समक्ष एक साधारण वाद के रूप में दायर किया गया है, तो आदेश VII नियम 10 सि.प्र.सं. के तहत वादपत्र को वादी को उचित अधिकार क्षेत्र के वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा, समान रूप से, दोनों में से कोई भी पक्षकार ऐसे वाद के अंतरण की मांग करने के लिए सि.प्र.सं. की धारा 24 के प्रावधानों का आह्वान कर सकता है।

61. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सही ढंग से बताया है कि साधारण सिविल न्यायालय के समक्ष दायर किया गया वाद विशेष अभिवचनो का अनुपालन नहीं कर रहा हो सकता है, उसमें सत्य बयान या निर्धारित रूप में शपथपत्र शामिल नहीं हो सकता है, और यहां तक कि अधिनियम की धारा

12क के प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं किया गया हो सकता है। हालाँकि, मेरे विचार में, जब यह मान लिया गया कि साधारण सिविल न्यायालय में दायर किए गए वाद के वादपत्र को आवश्यक अभिवचनो, सत्य बयान की कुर्की और पत्रों के रूप में आवश्यक संशोधन करने के बाद वाणिज्यिक न्यायालय में दायर करने के लिए वापस किया जा सकता है, यहाँ तक कि जहाँ वाद सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अंतरित किया जाता है, वहाँ भी वादी को वाद में ऐसे आवश्यक संशोधन करने होंगे। केवल इसलिए कि वादी द्वारा वाद के अंतरण पर इस तरह के संशोधन किए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय को सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत प्राप्त शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

62. ***सूरज प्रकाश*** (पूर्वोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने ऐसे ही अभिवाक को खारिज करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> *"**8.** प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता की इस आपत्ति पर कि वाद वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित न किया जाए क्योंकि यह अनिवार्य सत्यापन, सत्य बयान और शपथ पत्र के बिना दायर किया गया है, इस न्यायालय ने रिवेरिया कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड बनाम ब्रॉम्पटन लाइफस्टाइल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड, एनसी:2022/डीएचसी/005823 में अपने निर्णय में माना है कि भले ही वाद के साथ दायर शपथपत्र में कोई दोष हो, यह केवल एक सुधार योग्य दोष है; जैसा*

कि दावा किया गया है, यह वादी के राहत के अधिकार को छीन नहीं कर सकता; और, वादी को इस दोष को सुधारने का अवसर दिया जा सकता है। इसलिए, वर्तमान मामले में, निर्धारित शपथपत्र, सत्य बयान या सत्यापन दाखिल न करने मात्र से याचिकाकर्ता द्वारा दायर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है या वाद को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अंतरित करने की मांग वाली वर्तमान याचिका को खारिज करने का आधार नहीं दिया जा सकता है। वाद को वाणिज्यिक वाद के रूप में मानने तथा सक्षम न्यायालय में अंतरित करने पर, उक्त वाद पर तभी विचार किया जाएगा जब वादी वाणि. न्या. अधिनियम के अधिदेश का पूर्णतः अनुपालन करेगा तथा सत्य कथन, शपथ पत्र और सत्यापन निर्धारित रूप में दाखिल करेगा। यदि वादी ऐसा करने में विफल रहता है, तो वाद की धारणीयता को चुनौती देने के लिए प्रत्यर्थीगण के पास अपने स्वयं के उपचार होंगे।"

63. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि सि.प्र.सं. के प्रावधान किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी भी वाद पर लागू होंगे, जो अधिनियम से संलग्न अनुसूची में दिए गए संशोधित प्रावधानों के अधीन होंगे। सि.प्र.सं. की धारा 24 ऐसा प्रावधान नहीं है जिसे उक्त अनुसूची द्वारा संशोधित किया गया हो। इसलिए, यह एक विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में वाद पर

पूरी ताकत से लागू होता है। यदि विधानमंडल न्यायालय से यह शक्ति छीनना चाहता तो उसे अधिनियम की अनुसूची में उक्त प्रावधान को हटाकर ऐसा स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था; लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस शक्ति का कोई निहित बहिष्करण भी नहीं है, क्योंकि यह शक्ति किसी भी तरह से अधिनियम के किसी भी प्रावधान के विरोध में नहीं है।

64. जहां तक अधिनियम की धारा 12क का अनुपालन न किए जाने का प्रश्न है, अंतरण न्यायालय वाद के स्थानान्तरण के समय गुणागुण के आधार पर उक्त आपत्ति पर विचार करेगा। वाद का अंतरण किसी भी तरह से प्रतिवादी के इस तर्क कि वाद बिना किसी वादहेतुक के दायर किया गया है या किसी अन्य कानून के प्रावधान द्वारा वर्जित है या अधिनियम की धारा 12क के तहत अनिवार्य वाद दायर करने से पूर्व की मध्यस्थता शुरू करने में वादी की विफलता सहित किसी अन्य कारण से सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज होने योग्य है, के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत वाद के अंतरण पर भी प्रतिवादी के लिए ये आपत्तियां उपलब्द्ध रहेंगी।

65. जैसा कि यहां ऊपर कहा गया है, अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित एक वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय होगा। इस संबंध में ***भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम नंदिनी जे. शाह एवं अन्य,*** *(2018) 15 एससीसी 356* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ

लिया जा सकता है। इसलिए, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में वाद से सि.प्र.सं. की धारा 24 की प्रयोज्यता को निष्कासित करने का कोई कारण नहीं है। पहले मुद्दे का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

<u>मुद्दा (ii)</u>

66. मुद्दे (ii) का उत्तर देने के लिए, इस पर विचार करना प्रासंगिक है कि क्या जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे का वाणिज्यिक न्यायालय, जिला न्यायालय के अधीनस्थ वाला न्यायालय होगा। मेरे विचार से, इस मुद्दे का उत्तर नकारात्मक ही होगा।

67. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा जिला स्तर पर उतनी संख्या में वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन कर सकती है, जितनी वह अधिनियम के तहत उन न्यायालयों को प्रदत्त क्षेत्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से आवश्यक समझे। अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) में आगे यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, वाणिज्यिक विवादों को निपटाने में अनुभव रखने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश के स्तर पर या जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के न्यायालय में वाणिज्यिक न्यायालयों का न्यायाधीश या न्यायाधीशगण नियुक्त कर सकती है। जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के किसी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अधिनियम

की धारा 3क के अंतर्गत गठित वाणिज्यिक अपील न्यायालय के समक्ष की जाएगी, तथा जिला न्यायाधीश के स्तर के किसी वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग के आदेश के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, अपील अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील प्रभाग में की जाएगी।

68. इसलिए, अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों का एक अलग पदानुक्रम प्रदान किया गया है।

69. यद्यपि जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालय में दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी कार्यरत हो सकते हैं, फिर भी मेरी राय में, ये न्यायालय सि.प्र.सं. की धारा 24 के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हो जाते हैं। इसी प्रकार, चूंकि उच्च न्यायालय ने विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कुछ वादों को एक वाणिज्यिक न्यायालय से दूसरे वाणिज्यिक न्यायालय में अंतरित करने के लिए कुछ शक्तियां सौंपी हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ये न्यायालय जिला न्यायालय के अधीनस्थ हैं। ऐसे मामलों में, विद्वान जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि के रूप में शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

70. मुद्दे (ii) का उत्तर यह मानते हुए दिया जाता है कि सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत वाद को अंतरित करने की शक्ति, विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश को उपलब्ध नहीं है।

<u>निष्कर्ष:</u>

71. विधि की उपरोक्त स्थिति पर विचार करने और वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटने के बाद, मेरे विचार में, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वर्तमान याचिका में आक्षेपित दिनांक 06.03.2023 के आदेश को पारित करने में गलती की है। जब विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का यह विचार था कि विषयगत वाद में उठाया गया विवाद एक विनिर्दिष्ट मूल्य में वाणिज्यिक स्वरूप का है, तो उसके पास एकमात्र शक्ति यह थी कि वह वादी, अर्थात् प्रत्यर्थी को वादपत्र वापस कर दें, ताकि उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास वाद की फाइल को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अंतरित करने हेतु विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखने की कोई शक्ति नहीं थी।

72. इसी प्रकार, विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वाद को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय से विद्वान जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायालय में अंतरित करने में गलती की। जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित गया है, विद्वान जिला न्यायाधीश से नीचे के स्तर पर भी वाणिज्यिक न्यायालय जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। इसलिए, विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास दिनांक 14.03.2023 के आक्षेपित आदेश को पारित करने की कोई शक्ति नहीं थी।

73. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 06.03.2023 के आदेश और विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14.03.2023 के आदेश को अपास्त किया जाता है।

74. साथ ही, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस न्यायालय के पास सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत वाद को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अंतरित करने की शक्ति है। वर्तमान मामले में, चूंकि यह विवादित नहीं है कि वाद एक विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित है और इसका विचारण विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत जिला न्यायालय द्वारा किया जाना है, और चूंकि यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता, जो वाद में प्रतिवादी है, ने न केवल अपना लिखित बयान दायर किया है, बल्कि एक प्रति-दावा भी दायर किया है, मेरी राय में, न्याय के हित में यह मांग की जाएगी कि सि.प्र.सं. की धारा 24 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्ति के तहत, वाद को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय से जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत जिला न्यायालय के न्यायालय में अंतरित किया जाए, ताकि इस पर वर्तमान चरण से विचारण किया जा सके।

75. पक्षकारगण विद्वान अंतरण न्यायालय के समक्ष उस तारीख को उपस्थित होंगे जो अंतरण न्यायालय द्वारा पहले ही निर्धारित कर दी गई होगी।

76. याचिका एवं लंबित आवेदनों का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

77. जुर्माने का कोई आदेश नहीं किया गया।

न्या., नवीन चावला

9 जनवरी, 2023/आरपी/एएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*